

कर्नाटक और तमलिनाडु के बीच मेकेदातु परियोजना वविाद

संदर्भ

कुछ समय पूर्व तमलिनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कर्नाटक में मेकेदातु बांध परियोजना के लिये व्यवहार्यता अध्ययन की प्रक्रिया को रोकने हेतु आग्रह किया था। लेकिन हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने कर्नाटक सरकार की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility report) को स्वीकृति देते हुए कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु (Mekedatu) बहुदेशीय परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।

मेकेदातु परियोजना (Mekedatu Project)

- कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर स्थापित की जा रही यह परियोजना तमलिनाडु के रामानगरम् ज़िले में मेकेदातु के पास है।
- इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 48 TMC (thousand million cubic feet) है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बंगलूरु को पेयजल की आपूर्ति करना और इस क्षेत्र में भूजल पटल का पुनर्भरण (recharge) करना है।

तमलिनाडु बनाम कर्नाटक

- तमलिनाडु ने मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। तमलिनाडु का मुख्य तर्क यह है कि मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी जल प्राधिकरण के अंतिम नरिणय का उल्लंघन करती है और दो जलाशयों के नरिमाण के परिणामस्वरूप कृष्णाराज सागर और कबीनी जलाशयों में जलग्रहण के साथ-साथ कर्नाटक और तमलिनाडु की सामूहिक सीमा बलिगुंडुलू में भी जल-प्रवाह प्रभावित होगा।
- वहीं कर्नाटक का कहना है कि यह परियोजना तमलिनाडु को नरिधारित मात्रा में पानी जारी करने के रास्ते में नहीं आएगी और न ही इसका इस्तेमाल सचिाई उद्देश्यों के लिये किया जाएगा।

बांध पर हो रही राजनीति

- वर्ष 2015 में तमलिनाडु में इस परियोजना के खिलाफ व्यापक वरिोध प्रदर्शन हुआ, जसिे राजनीतिक दलों, किसानों, परविहन संघों, खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ था।
- साथ ही तमलिनाडु की वधिानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कर्नाटक को इस परियोजना के नरिमाण करने से रोके।

आगे की राह

- कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority-CWMA) के विशेषज्ञों अनुसार, केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद भी इस प्रक्रिया के लिये CWMA से मंजूरी लेना अनविरय है।
- प्राधिकरण के विशेषज्ञों के अनुसार, इस परियोजना की वसित्त रपिर्ट का अध्ययन कया जाना अभी शेष है क्योंकि CWC का फैसला केवल तमलिनाडु सरकार द्वारा उठाई गई चलिाओं को ध्यान में रखते हुए लया गया है।

केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission- CWC)

- जल संसाधन के कषेत्र में यह देश का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है।
- इस आयोग को बाढ़ नयित्रण, सचिाई, नौवहन, पेयजल आपूर्त और जल वदियुत वकिस के प्रयोजन हेतु समूचे देश के जल संसाधनों के नयित्रण, संरक्षण और उपभोग संबंधी योजनाओं के लयि राज्य सरकारों के परामर्श से शुरू करने, समन्वति करने तथा आगे बढ़ाने का सामान्य उत्तरदायतिव सौपा गया है।
- इस आयोग का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है जिसका पद भारत सरकार के पदेन सचवि के स्तर का होता है।
- आयोग के तीन तकनीकी वगि हैं, जसिमें अभकिल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परयोजना तथा नदी प्रबंध वगि शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दलिली में है।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority-CWMA)

- तमलिनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी के बीच जल के बँटवारे संबंधी वविाद को नपिटाने हेतु 1 जून, 2018 को केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का गठन कया।
- इस प्राधिकरण के गठन का नरिदेश सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी, 2018 को दया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर इस प्राधिकरण का गठन करना था।

प्राधिकरण की संरचना

- इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 8 सदस्यों के अलावा एक सचवि शामिल है।
- अध्यक्ष की नयिकृति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या आयु के 65 वर्ष पूरे होने तक नरिधारति कया गया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस